निशुल्क प्रकाशन हेतु

कार्यालय, निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि. एवम् प्रो.रा.यो./2011–12/ 1352 दिनांकः 13.12.2011

प्रेस विज्ञप्ति

विषयः– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवम् प्रोत्साहन राशि योजना 2011–12 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.01.2012 तक बढाने बाबत।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र कमांकः 20 (101/105) आयो./निकाशि/2011–12 /1247 दिनांकः 12.07.2011, पत्रांक एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि. एवम प्रो.रा.यो./2011–12/ 1175 दिनांकः 03.11.2011 तथा प्रेस विज्ञप्ति कमांकः 1142–1151 दिनांकः 08.11.2011 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक कम में लेख है कि राजकीय महाविद्यालयो में अध्ययनरत विशेष पिछडे वर्ग [1. बंजारा, बालदिया,लबाना, 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देवासी)] की छात्राओं से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011–12 के लिए आवेदन पत्र दिनांकः 25. 11.2011 तक मांगे गये थे । छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुये आवेदन कराने की अंतिम तिथि निम्नानुसार बढाई जाती है :–

क.सं.	स्कीम/ योजना का नाम	छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र राजकीय महाविद्यालयों में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	प्राचार्यो द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय में जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	10.01.2012	15.01.2012

विभाग द्वारा जारी पूर्व पंत्राको / विज्ञापन के अनुसार नियम/शर्ते यथावत रहेगी।

आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है । विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र ही मान्य होगें।

प्राचार्यो से अब तक प्राप्त आवेदन पत्र अधिकांशतः अपूर्ण है, जिनमे न तो निर्धारित आवेदन पत्र का ध्यान रखा गया है, न जातियो का ध्यान रखा गया है, न आय सीमा का ध्यान रखा गया है , न पिता की घोषणा का ध्यान रखा गया है और न ही समस्त कॉलमों की पूर्तियां कराई गई है । कुछ प्राचार्यो ने देवनारायण छात्रा आर्थिक सहायता योजना के आवेदन पत्र भी इस विभाग को भिजवा दिये गये है जबकि यह स्कीम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है इस प्रकार प्राचायां द्वारा राज्य सरकार की स्कीम को लागू कराने में गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

अतः राजकीय महाविद्यालय प्राचार्यों को निदेर्शित किया जाता है कि बढाई गई अंतिम तिथि तक विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र में छात्राओं से आवेदन कराये जाकर, समस्त कॉलम पूर्तियों एवं संलग्न समस्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में दिनांकः 15.01.2012 तक जमा कराना सुनिश्चित करावे। अंतिम तिथि बाद तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समपूर्ण जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी ।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान,
जयपुर

कमांकः– एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि. एवम प्रो.रा.यो./2011–12/ 1353-1362 दिनांकः 13.12.11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आठ प्रतियो सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इनका निशुल्क प्रकाशन राजस्थान के सभी समाचार पत्रों मे करवाने की व्यवस्था करावे।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक, आकाशवाणी जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा शासन सचिवालय,जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, अकादमी /पी एण्ड सी/ छात्रवृति कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणो में प्रकाशन करावे।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान/ सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर, अजमेर,जोधपुर,बीकानेर,उदयपुर और कोटा
10. श्री देवर्षि जी को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा विभाग,राजस्थान,
जयपुर